प्रेषक,

**दया शंकर सिंह,**
**संयुक्त सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**निदेशक,**
**प्रशासन एवं विकास,**
**पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 सितम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-266/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो., दिनांक-15.09.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-93/2016/1845/सैंतीस-2-2016-1(21)/12, दिनांक-05.09.2016 द्वारा पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में निर्गत कुल रू0-881.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति में मानक मद 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत रू0-50.00 हजार की धनराशि स्वीकृत हो गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत उक्त मानक मद में कोई बजट प्राविधानित नहीं है। अतएव शासनादेश दिनांक-05.09.2016 के प्रथम प्रस्तर में अंकित मानक मदवार विवरण में "42-अन्य व्यय" के स्थान पर "43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" पढ़ते हुए रू0-50.00 हजार की धनराशि मानक मद "43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत स्वीकृत समझी जाये साथ ही उक्त शासनादेश दि0-05.09.2016 के साथ संलग्न धनराशि की जनपदवार फॉट के कॉलम-6 में अंकित मानक मद "06-अन्य भत्ते" के स्थान पर "43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" पढ़ते हुए उक्त धनराशि मानक मद "43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत स्वीकृत समझी जाये।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में इसके पूर्व निर्गत संशोधन के शासनादेश संख्या-94/2016/2157/सैंतीस-2-2016-1(21)/12, दिनांक-08.09.2016 को एतद्द्वारा निरस्त समझा जाये।

3- वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश दिनांक-05.09.2016 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

**(दया शंकर सिंह)**
संयुक्त सचिव।

**पृ0सं0-95/2016/2213(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(दया शंकर सिंह)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in